

## दक्षिणपूर्व मध्य रेलवे

OFFICE OF THE
Executive Engineer(Construction)
Near Gauri Nagar Railway Pathak,
South East Centre Railway,
RAINANDGAON

Dated: 28.01.2021

No./XEN/CON/RIN/MISC/292

प्रति,

कलेक्टर

राजनांदगाॅव (छ.ग.)

विषय:—पनियाजोब—बोरतलाव के मध्य तीसरी रेलवे लाईन से प्रमावित हो रहे राजस्व वनमूमि (4.582 है.) के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली राजस्व वनमूमि के लिए वन—अधिकार अधिनियम प्रावधान अनुसार ग्राम सभा का प्रमाण पत्र एवं कलेक्टर द्वारा प्रदाय दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाबत।

सदंभे:--1. कार्यालय तहसीलदार डोंगरगढ़ का पत्र कं./3384/प्रवा.तह./21 दिनांक- 20.01.2020.

2. कार्यालय तहसीलदार डोंगरगढ का पत्र क./ /प्रव-1.तह./2021 दिनांक- 28.01.2020

महोदय.

उपरोक्त संदर्भित पत्र क. 01 के अनुसार पनियाजोब—बोरतलाव के मध्य तीसरी रेलवे लाईन के मध्य राजस्व वनमूमि ग्राम पनियाजोब खसरा क. 260 अनुमानित रकबा—0.187, ग्राम बोरतलाव खसरा क.199 रकबा—1.53, 201 रकबा—0.154 व 203 रकबा—2.711 (कुल—4.582 है.) का अधिग्रहण करना अनिवार्य है, इस हेतु अनुसुचित जन—जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों कि मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधान कि पालना में संबंधित ग्राम सभाओं एवं आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र कि आवश्यकता है। इनके अलावा अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा जांच एवं वन अधिकार नियम के तहत् किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु मान्यता प्रमाण पत्र के वितरण होने अथवा न होने का विवरण भी आवश्यक हैं। आवश्यक प्रमाण पत्रों की सुची निम्नानुसार है—

- 1. ग्राम सभा द्वारा प्रदाय प्रमाण पत्र। (प्रदर्ष ब)
- 2. पंचायत प्रस्ताव।
- 3. कलेक्टर द्वारा प्रदाय प्रमाण पत्र । (प्रदर्ष स)
- 4. अनुभागस्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा प्रदाय प्रमाण पत्र ।
- परिक्षेत्र अधिकार, उप वनमंडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, वनमंडल अधिकारी द्वारा सहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियो को निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

जिला कार्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रैलवे, राजनांदगॉव

प्रतिलिपी-1. उप मुख्य अभियंता (निर्माण) / रायपुर को सादर सूचनार्थ।

2. अनुविभागीय अधिकारी / डोंगरगढ़ को सादर सूचनार्थ एव. आक्शयक कार्य हेतु प्रेषित।



## SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

OFFICE OF THE
Executive Engineer(Construction)
Near Gauri nagar Railway Pathak,
South East Central Railway,
RAJNANDGAON

Date - 31.01.2021

To,
APCCF/Land management Section
Aranya Bhawan, Naya Raipur. (C.G.)

Sub.:- Regarding FRA certificate for Revenue Forest land.

Ref.:- This office letter No./XEN/CON/RJN/Misc./292. Dated – 28.01.2021

Vide reference above, we have already applied for FRA certificate for Revenue forest land to Collector/Rajnandgaon as per ref. letter (1) on date 28.01.2021. FRA certificate of forest land has already been submitted. So as per forest conservation act 1980 FRA certificate will be submitted with 44 points.

Hence, kindly process our proposal for diversion of forest and Revenue forest land which is required for construction of 3<sup>rd</sup> line between Paniajob-Bortalao.

It is for your kind information & necessary action please.

Encl.:- Reference letter.

(Narayan Singh Bundela)

**Executive Engineer (Construction)** 

S.E.C. Railway, Rajnandgaon

**Copy to:** Dy.CE/C/R for kind information please.